प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 89/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

"दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना' संबंधी भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना।

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 19 सितंबर, 2019 के "दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना' संबंधी परामर्श पत्र पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां आमंत्रित की थी । हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 18 अक्टूबर, 2019 और 1 नवंबर, 2019 रखी गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय–सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में औद्योगिक संगठनों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर क्रमशः 1 नवंबर, 2019 और 15 नवंबर, 2019 करने का विनिश्चय किया गया है। तिथि बढ़ाने के किसी और अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. टिप्पणियां व प्रति–टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग), भादूविप्रा को ईमेलः– advmn@trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए उनसे टेलीफोन नंबर +91–11–23210481 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।